न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 43 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. पुनमाराम पुत्र भुराराम 2. सताराम पुत्र भुराराम 3. हीराराम पुत्र भुराराम 4. केशाराम पुत्र भुराराम 5. रामुराम पुत्र भींयाराम 6. जोराराम पुत्र भींयाराम जातियान जाट निवासीयान जाटों की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. दुदाराम पुत्र मोटाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार/ उप पंजीयक चौहटन 3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 119 / 2013 बअनवान दुदाराम बनाम पुनमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूपसिंह राठौड़, श्री पदमसिंह परिहार अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का एक खेत मौजा ग्राम जाटो की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 10 रकबा 15.04 बीघा व खसरा संख्या 61 रकबा 0.09 बीघा एवं खसरा संख्या 198 / 62 रकबा 385.08 बीघा व खसरा संख्या 211 / 133 रकबा 35.05 बीघा एवं खसरा संख 221 / 62 रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 436.16 बीघा का आया हुआ है। अपीलाधीन आराजी में वादी का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1 / 3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 से 07 का 1 / 3 हिस्सा है। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार चौहटन द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांटस व उतरदाता संख्या 01 के ढाणीयों के अलावा तीन खेत खसरा संख्या 10, खसरा संख्या 198/62 व खसरा संख्या 211/133 है इन तीन खेतों में उतरदाता संख्या 01 का 1/3 हिस्सा है जिन्हे इन तीन खेतों में विभाजन प्रस्ताव में बराबर हिस्सा माफिक हिस्सा पाने का अधिकार था परन्तु विभाजन प्रस्ताव में न देकर खसरा संख्या 10 संपूर्ण आवगा व खसरा संख्या 198/62 रकबा 130.08 बीघा दिया गया है। तथा अपीलांटा को खसरा संख्या 211/33 आवगा व खसरा संख्या 198/62 में रकबा 255 बीघा दिया गया है। इस प्रकार अच्छी से अच्छी भूमि उतरदाता को विभाजन प्रस्ताव में दे दी गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार चौहटन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा **By Metes & Bound** सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2011-12(Supp.) Page 698
RRT 2015(2) Page 817

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मातहत अदालत को वाद पत्र की पत्रावली माननीय राजस्व राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने पर पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने की अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2019 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध तैयार कर पेश किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अपीलार्थीगण को विभाजन प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थीगण को युक्ति युक्त अवसर प्राप्त नहीं होना एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सर्वथा विधिक प्रावधानों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2013 बअनवान दुदाराम बनाम पुनमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.03.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर